

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत छत्रा - अकिशोर
 मोटर मार्ग अन्तर्गत 17.400 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
 चौड़ाई में ग्राम नगवूला की पंचायती
 वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि नैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत

प्रधान ग्राम सभा

(हस्ताक्षर) नगवूला
नगवूला
नगवूला

वन पंचायत
 गा० नगवूला
 पो० मछोड़ (अलमोड़ा)
नगवूला



छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण सड़क पो० नि० वि०
 रा.न.ख.न.

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अरमोडा के अन्तर्गत
ग्राम सड़क योजना के तहत एडडा - भिक्रिया
 मोटर मार्ग अन्तर्गत 13.100 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
 चौड़ाई में ग्राम वैव - वसन्तपुर की पंचायती
 वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरेखण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत



प्रधान ग्राम सभा

प्रधान वि. व. व. व.

ग्राम पंचायत वसन्तपुर
 सड़क (अरमोडा)

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
 राष्ट्रीय सड़क नि. वि. वि.
 रा.म.स.व.

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत
राष्ट्रिय सड़क योजना के तहत चरखा मिडियालैण
 मोटर मार्ग अन्तर्गत 17.600 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
 चौड़ाई में ग्राम खिरी की पंचायती
 वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत
चरखा मिडियालैण
अलमोड़ा
 जिला चरखा, जिला अलमोड़ा

प्रधान ग्राम सभा
खिरी
 वन पंचायत चरखा
 जिला (अलमोड़ा)

छायाप्रति सत्यापित

सतीश कुमार
 प्रन्तीय सड़क विभाग
 चरखा

अलमोड़ा

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत एच २२५ - सि.कि.मार्ग
 मोटर मार्ग अन्तर्गत 14.400 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
 चौड़ाई में ग्राम परादेवी की पंचायती
 वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत

अ. ज. च. नाथ
 सरपंच वन पंचायत
 ग्राम परदेवी
 तल्ला सट्ट (अलमोड़ा)

प्रधान ग्राम सभा



छायाप्रति सत्यापित

सहायक प्रमाणित
 ग्रामोपस्थापक रो.सो. नि.वि.
 अलमोड़ा

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अरुणोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत हरदा-मिर्जापुर
 मोटर मार्ग अन्तर्गत 14.400 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
 चौड़ाई में ग्राम हरदा की पंचायती
 वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरेखण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि-गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत

मरपंच

वि.सं. ०५/१२/७४
मिर्जापुर

प्रधान ग्राम सभा

प्रधान

वि.सं. ०५/१२/७४
मिर्जापुर

आया प्रति सत्यापित

रामचंद्र

सहायक सचिव
 प्रादेशिक विकास विभाग
 रायपुर

वि.सं. ०५/१२/७४

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत ६२५ - सिद्धिगढ़
मोटर मार्ग अन्तर्गत 17.400 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
चौड़ाई में ग्राम अमौड़ा की पंचायती
वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत

पंचाजित
सरपंच
वन पंचायत अमौड़ा
जिला अल्मोड़ा

प्रधान ग्राम सभा

पंचाजित
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत अमौड़ा
पो. दुया, वि. व. अल्मोड़ा
जिला अल्मोड़ा

छायाप्रति उत्प्रापित

पंचाजित

सहस्रक विभाग
सि. वि. अल्मोड़ा

सि. वि. अल्मोड़ा

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अरुमोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत दस्ता - चिन्मय
मोटर मार्ग अन्तर्गत 17.400 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
चौड़ाई में ग्राम उरुमोड़ा की पंचायती
वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत अरुमोड़ा
वन पंचायत देवराही
पो०-हरा
जिला-अल्मोड़ा
सरपंच उमा देवी
वन पंचायत धरमोला
पो०-हरा (अल्मोड़ा)

प्रधान ग्राम सभा अरुमोड़ा
ग्राम सभा देवी
ग्राम पंचायत देवराही
पो०-हरा (अल्मोड़ा)

आवृत्ति प्रमाणित

अरुमोड़ा

पञ्चायत सभा की ओर से

दिनांक 10/01/2014

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत हरड़ा - मिर्जापुर
 मोटर मार्ग अन्तर्गत 13.400 किमी० लम्बाई एवं 9 मीटर
 चौड़ाई में ग्राम हुगरी की पंचायती
 वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत

प्रधान ग्राम सभा


 वन पंचायत हुगरी
 जिला अल्मोड़ा


 ग्राम प्रधान हुगरी
 विकास खण्ड सी. ७ (अ) - १९८१

छायाप्रति सरवापिस


 सरवापिका
 राष्ट्रीय सड़क सं. नि. वि.
 राजीव

ग्राम सभा एवं वनपंचायत का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत
राज्य सड़क योजना के तहत ६२५ - सि.कि.जे.पैठा
मोटर मार्ग अन्तर्गत १४.४०० किमी० लम्बाई एवं ९ मीटर
चौड़ाई में ग्राम तथा की पंचायती
वन भूमि, सिविल राज्य भूमि एवं नापभूमि प्रभावित होती है।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के नाम हस्तांतरण हेतु वन पंचायत एवं ग्राम सभा अपनी सहमति प्रदान करती है, चूंकि उक्त मार्ग जनहित में निर्मित किया जाना है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण में अपना योगदान देने को सहमत हैं। तथा उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग के संरक्षण से हम पूर्णतः सहमत हैं तथा उपरोक्त भूमि गैर विवादित एवं किसी अन्य प्रायोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सरपंच वन पंचायत

12/09
वन पंचायत, तथा
परी-तला लखौ
वे. तथा. जि. अलमोड़ा

प्रधान ग्राम सभा

प्रधान
ग्राम पंचायत तथा
१०.७० सै. (अलमोड़ा)

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अधीक्षक
प्रान्तीय सड़क विभाग
राज्य

२०१०-११